संख्या-21 /2023/001-8-2293339-12-5002-(002)/1/2023

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश,

कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 103- बीज, 03- प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्धन प्रक्षेत्र योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस0एफ0-2465.टी/नान प्लान-180/2022-23, दिनांक 29-12-2022, पत्र संख्या-एस0एफ0-2714.टी/नान प्लान-180/2022-23, दिनांक 03-02-2023 एवं पत्र संख्या-एस0एफ0-2791.टी/नान प्लान-180/2022-23, दिनांक 14-02-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 05-आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख के सापेक्ष हो रही बचत से रू0 1600.05 लाख, अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 103- बीज, 03- प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्धन प्रक्षेत्र योजनान्तर्गत मानक मद 02-मजदूरी में रू0 800.00 लाख तथा 43-सामग्री सम्पूर्ति में रू0 800.05 लाख अर्थात **कुल धनराशि रू० 1600.05 लाख (रूपये सोलह करोड़ पांच हजार मात्र)** की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022- 231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र **मानक मद** 02 मजदूरी (*2*) रुपये 8,00,05,000 (रुपये आठ करोड़ पांच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र **मानक मद** 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

संख्या-21/2023/001-8-2293339(1)/12-5002(002)/1/2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तयर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्यूपरी टर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी(एम)0-09 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का पस्तर-156)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे दी अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाए)

अनुदान संख्या व नाम -11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग

वित्तीय वर्ष 2022-2023

प्रपत्र बी(एम)0-09

(धनराशि लाख रु0 में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2 4 0 1 0 0 1 0 9 0 5 0 0 2401-फसल कृषि कर्म 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 05-आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना					
42-अन्य व्यय	10000.00	1600.05	1600.05	1600.05	8399.95
योग	10000.00	1600.05	1600.05	1600.05	8399.95

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8-11)
7	8	9	10	11	12
2 4 0 1 0 0 1 0 3 0 3 0 0 2401-फसल कृषि कर्म 103-बीज 03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्धन प्रक्षेत्र योजना					
02-मजदूरी	1600.00	2400.00	800.00	800.00	2400.00
43-सामग्री सम्पूर्ति	1000.00	2800.00	800.05	800.05	1800.05
योग	2600.00	5200.00	1600.05	1600.05	4200.05

(रु0 सोलह करोड़ पांच हजार मात्र)

1-स्तम्भ-3 में उल्लिखित योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य के अनुरूप मांग न होने के कारण बचत हो रही है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अपेक्षित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार से न प्राप्त होने के कारण मजदूरी एवं सामग्री सम्पूर्ति मदों में व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः आर0ई0- बजट-1-407 /ई-1-दस-2023, दिनांकः 01-03-2023

(अमर चन्द)
अनु सचिव (कृषि)

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम.....(फूल चन्द यादव)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 8/2293339/2023-12-5002(02)/1/2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) पंचम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) पंचम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (निर्वाचन आडिट) पंचम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, खजाना भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-व्यवस्था) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 सीन प्लियर्स में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अमर चन्द्र)
अपर सचिव

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।